

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(एसबीएम)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 31 दिसंबर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) के अन्तर्गत आई०ई०सी० एण्ड पी०ए० मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सहायक निदेशक (लेखा), स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-पी०एम०यू०/11712/498(2)/2023, दिनांक 24.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-24 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (नगरीय) के अन्तर्गत आई०ई०सी० एण्ड पी०ए० संबंधित कार्य (के० 60/रा०40) मद में निम्नानुसार भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि **रु० 61,95,50,000 (रुपये इकसठ करोड़ पंचानबे लाख पचास हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु में)

मद	केन्द्रांश की धनराशि लेखाशीर्षक (2215-02-107-0514)	समतुल्य राज्यांश की धनराशि लेखाशीर्षक (2215-02-107-8914)	कुल धनराशि (केन्द्रांश+राज्यांश)
आई०ई०सी० एवं बी०सी०	371730000.00	247820000.00	619550000.00
कुल योग	371730000.00	247820000.00	619550000.00

रु० 61,95,50,000 (रुपये इकसठ करोड़ पंचानबे लाख पचास हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (एसबीएम)2.0 के पदनाम से खुले शेडयूल्ड कामर्शियल बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं उक्त स्टेट नोडल खाते से लिंक नगरीय निकायों के स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के खोले गये खाते में अन्तरित की जायेगी।
- (2) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन प्रथमतः धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

- (3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।
 - (4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
 - (6) राज्या मिशन निदेशक, स्व च्छो भारत मिशन (नगरीय) द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 - (8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (9) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन है कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 - (10) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रथमतः कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य अन्य किसी कार्य योजना से संबंधित है।
 - (11) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 37,17,30,000 (रुपये सैंतीस करोड़ सत्रह लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070514 आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य (के.60/रा.40-के.) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 24,78,20,000 (रुपये चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021078914 आई.ई.सी. एण्ड पी.ए. संबंधी कार्य मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-367-X-2024-25-दिनांक: 31-12-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
31.12.2024

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-573/2024/ नौ-5-2024/002-Comp. No. 1420471-SBM, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3-संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4-निदेशक (एसबीएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 7-निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 8-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 9-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 12-निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आजा से,
31.12.2024

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।